(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 03/2021-State Tax

Dated: the & May, 2022

No. F.3(3)/Fin.(Exp-1)/2021-23/DS-1/438 — In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council and in supersession of the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-1), No. 17/2020 — State Tax, dated the 28th August, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part 1V, vide number F3(36)/Fin(Rev-1)/2020-21/DS-1V/66, dated the 28th August, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of section 25 of the said Act shall not apply to a person who is,—

- (a) not a citizen of India; or
- (b) a Department or establishment of the Central Government or State Government; or
- (c) a local authority; or
- (d) a statutory body; or
- (e) a Public Sector Undertaking; or
- (f) a person applying for registration under the provisions of sub-section (9) of section 25 of the said Act.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar) Dy. Secretary I (Finance)

Dated: the 25 May, 2022

No. F.3(3)/Fin.(Exp-I)/2021-23/DS-I/ 438 Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, 1.P. Estate, New Delhi

The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

- The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
- The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 11. Website.
- 12. Guard File.

(Ravinder Kumar) Dy. Secretary I (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली सरकार वित्त (व्यय–1) विभाग विल्ली सिववालय, आई.पी. एस्टेट, नई विल्ली—110002

अधिसूचना संख्या 03/2021-राज्य कर

विनांकः 🖋 ५ मई 2022

संठफाठ 03(3)/वित्त (व्यय-1)/2021-23/डीएस-1/98: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 की उपधारा (६घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 17/2020-राज्य कर, तारीख 28 अगस्त, 2020, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण में संठफाठ 03(36)/वित्त (राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/66, तारीख 28 अगस्त, 2020 के तहत प्रकाशित की गई थी, को सिवाय ऐसी बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो, —

- (क) भारत का नागरिक नहीं है ; या
- (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या स्थापना ; या
- (ग) स्थानीय प्राधिकारी ; या
- (घ) कानूनी निकाय ; या
- (ङ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ; या
- (च) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> ्री हैं (रविन्द्र कुमार) उप सचिव— I (वित्त)

सं०फा० 03(3)/वित्त (व्यय— I)/202<u>१</u>—23/डीएस— I/\$\mathscr{G}\$ प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

दिनांकः 🖋 🖍 मई २०२२

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग — चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली सरकार, विल्ली सचिवालय, नई विल्ली। आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, त्यापार भवन, आई.पी. इरटेट, मई विल्ली।

माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली सरकार, विल्ली सचिवालय,

वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली सरकार, विल्ली सचिवालय, नई विल्ली।

 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली सरकार, विल्ली सचिवालय, नई विल्ली। संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली

9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, विल्ली विधान सभा, पुराना राचिवालय, विल्ली।

10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई

11 वेब साईट।

12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार) उप सचिव- I (वित्त)